भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2571

04 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग

2571. श्री रोड़मल नागरः

श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गैर-कानूनी खनन को रोकने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ख): जी हां, खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीटयूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जिओ-इनफॉरमेटिक्स (बीआईएसएजी), गांधीनगर के सहयोग से एक खनन निगरानी प्रणाली (एसएसएस) विकसित की है ताकि पट्टाधारी क्षेत्रों के आस-पास अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करके संभावित अवैध खनन का पता लगाया जा सके। इस उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली अर्थात खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) का उद्देश्य स्वचालित सूदूर संवेदन निगरानी तकनीक के माध्यम से अवैध खनन कार्यकलाप को रोकना है ताकि उत्तरदायी खनिज प्रशासन की व्यवस्था स्थापित की जा सके। यह प्रणाली पट्टा सीमा के 500 मी बाहर तक की गतिविधि रिकार्ड करती है तथा अधिक्रमण का पता लगाने व राज्य सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ट्रिगर सृजित करती है। देशभर में एमएसएस को सक्रिय कर दिया गया है।

एक उपभोक्ता अनुकूल मोबाइल ऐप भी तैयार की गई है जिसका प्रयोग राज्य सरकार के जिला स्तरीय खनन अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षण की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया जाएगा। आम जनता द्वारा उपयोग हेतु भी एक मोबाइल ऐप विकसित की गई है जिसके द्वारा आम जनता अवैध खनन संबंधी शिकायत की सूचना दे सकेगी तथा यह सूचना संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित की जाएगी चूंकि अवैध खनन विशिष्ट रूप से केवल राज्य सरकारों का ही विषय है तथा एमएसएस, राज्य सरकारों की अवैध खनन की जांच में सहायता करती है।

(ग) उपरोक्त मद (क एवं ख) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता ।

*****